न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/28/2019

अपीलार्थी बनाम **प्रत्यर्थी**

श्री प्रतापसिंह,
एडवोकेट, कोर्ट कैम्पस, बहरोड जिला–अलवर
(राज.)–301701

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड
अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 25.04.19

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 22.05.19

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 23.03.19 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर जिला कलक्टर अलवर कार्यालय के पत्रांकः 90 दिनांकः 15.01.19 के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही बाबत सूचना उपलब्ध कराने की वांछा प्रत्यर्थी से की गई थी।
4. अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 24.04.19 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है एवं वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया है।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से पत्रांकः लोक सूचना/2019/571 दिनांकः 13.05.19 के माध्यम से नोटिस का जवाब प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
7. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील व प्रत्यर्थी की ओर से प्रेषित अपीलोत्तर का परीक्षण किया।
8. अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 23.03.19 के संबंध में पत्रांकः 570 दिनांकः 14.05.19 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित किया गया है व इस न्यायालय को पत्रांकः 571 दिनांकः 13.05.19 के माध्यम से अपीलोत्तर प्रस्तुत किया गया है जो विरोधाभासी प्रतीत होता है।
9. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 23.03.19 पर अधिनियम की धारा 7(1) में वर्णित निर्धारित समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर विलम्ब से सूचित किया गया है जो उक्त अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति उदासीनता का परिचायक है। उक्त के अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर प्रकरण में सूचना प्रदान की गई है तथापि सूचना प्रदत्त है।
10. उक्त आलोक में प्रथम अपील खारिज की जाती है व प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो भविष्य में उक्त अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर समयावधि में त्वरित निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त उक्त निर्णय के बिन्दु सं. 8 के अनुसार भविष्य में आवेदकों व उच्चाधिकारियों को प्रेषित पत्रों पर पत्रांक व दिनांक का क्रमबद्ध, सटीक व स्पष्ट अंकन किया जावे।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. निर्णय घोषित ।

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)